न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 20/अपील/2023 (GCMS No. 2023/66)	21.02.2023	24.03.2025

बउनवान

1. श्रीमती गीता पंवार पत्नी रणजीत पंवार जाति पंवार
   निवासी म.नं. 1658–ए पावर हाउस के पीछे,
   बीएसएनएल सर्किल के पास आर.के.पुरम कोटा
2. रूपेश पंवार पुत्र रणजीत पंवार जाति पंवार
   निवासी म.नं. 1658–ए पावर हाउस के पीछे,
   बीएसएनएल सर्किल के पास आर.के.पुरम कोटा
3. लोकेश पंवार पुत्र रणजीत पंवार जाति पंवार
   निवासी म.नं. 1658–ए पावर हाउस के पीछे,
   बीएसएनएल सर्किल के पास आर.के.पुरम कोटा

– अपीलांटस

बनाम

1. महकमा जंगलात द्वारा जिला वन मण्डल अधिकारी बून्दी
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री राजकुमार गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1, 2 की ओर से श्री भंवरलाल गुर्जर, राजकीय अभिभाषक।
रेस्पो. सं. 2 की ओर से श्री कपूरचन्द सेठिया, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलक्टर, बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार, तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 199 दिनांक 07.01.2022 ग्राम करोन्दी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय की पालना में दर्ज किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 20/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2023/66 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1069/199 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1112/199 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1113/199 रकबा 0.3237 वाके ग्राम करोन्दी, तहसील तालेडा है। उक्त कृषि भूमि अपीलांटस ने पूर्व खातेदार सुखदेव वल्द गंभीरा कौम गुर्जर से जर्ये पंजीकृत विक्रयपत्र क्रय करके कब्जा प्राप्त किया था जिस पर क्रय करने की तिथि से अपीलांटस काबिज काश्त है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि अपीलांटस के खातेदारी मे दर्ज की गई थी। पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय करने से पूर्व उक्त भूमि पर पूर्व खातेदार सुखदेव आ.गंभीरा काबिज था, जिसे उक्त कृषि भूमि विधिवत आंवटित हुयी थी। अपीलांटस अपील विषयक कृषि भूमि पर निरन्तर बहैसियत खातेदार काबिज है। अपील विषयक नामान्तरकरण में ही विचाराधीन वाद एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील विचाराधीन होने का नोट अंकित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, जो निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि के संबंध में नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, तालेडा के न्यायालय में श्रीमती गीता पंवार बनाम वन विभाग के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सं.42/2018 श्रीमती गीता पंवार बनाम वन विभाग वगै. विचाराधीन है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा दिनांक 03.08.2018 को वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किए हुए है,जो आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.03.2023 तक प्रभावी है। इस नियमित राजस्व वाद में पक्षकारों के हितों का निर्धारण होना है, इस कारण जमाबंदी के इन्द्राज यथावत रखने चाहिए थे। उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी महकमा जंगलात एवं तहसीलदार तालेडा द्वारा अवमानना करके नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है जो निरस्त होने योग्य है। निगरानी/एलआर/6323/2019/बून्दी उनवान गीता पंवार

जिला कलेक्टर; बून्दी

बनाम सरकार में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 04.12.2019 को पारित आदेश में राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा को प्रकरण में उभयपक्ष को विधिवत रूप से सुनवाई करते हुये पक्षकारान के उपस्थित होने के एक माह के अन्दर अन्दर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण करने, तब तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी जाने के आदेश दिये गये। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश की पालना में अभी तक उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है तथा प्रकरण के निस्तारण तक यथास्थिति मौके एवं रिकार्ड की बनायी रखने का आदेश माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिया हुआ है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी महकमा जंगलात के पक्ष में अपील विषयक नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 30.01.2023 को पटवारी हल्का से होने पर अपीलांटस ने नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होते ही अपील अन्तर्गत अवधि प्रस्तुत की गई। वैसे अपील विषयक नामान्तरकरण अवैध होने से इसे कभी चुनौती दी जा सकती है। फिर भी यदि किसी कारणवश अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब माना जावे, तो विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। देरी क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपील विषयक नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 व 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम खडीपुर में स्थित भूमि खसरा सं. 199 रकबा 224 बीघा, जिसका पुराना ख.नं. 168 है। उक्त ग्राम खडीपुर वनखण्ड करौंदी आरक्षित वन खण्ड में घोषित किया हुआ है। आरक्षित वन खण्ड ग्राम खडीपुर के उक्त खसरे की भूमि में से 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 17.12.1978 को सुखदेव आ. गंभीरा जाति गुर्जर को गैर कानूनी रूप से आवंटित कर दी गई। जिसके विरूद्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी द्वारा आवंटन नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 128/2018 उनवान राजस्थान सरकार बनाम आवंटन परामर्शदात्री समिति वगै. में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2019 से उक्त गैर कानूनी आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर आरक्षित वन भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश तहसीलदार तालेडा को प्रदान किये गये थे, जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं. 199 दिनांक 07.01.2022 दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण न्यायालय निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया है। यदि अपीलांटस उक्त भूमि पर अपना हक अधिकार मानते है तो उनको न्यायालय के मूल आदेश दिनांक 17.09.2019 को चुनौती देनी चाहिए थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। ऐसे में अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जावे।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का सर्वप्रथम परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 30.01.2023 को प्राप्त होने पर अपीलांट को विवादित नामान्तकरण की जानकारी होना अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने पर यह अपील दिनांक 14.02.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुण पर किये जाने पर प्रकट है कि तहसील तालेडा के ग्राम करोंदी में विस्थित आराजी खसरा सं. 1069/199 खातेदार गीता पंवार पत्नी रणजीत सिंह, खसरा सं. 1112/199 खातेदार रूपेश पंवार पुत्र रणजीत सिंह, एवं खसरा सं. 1113/199 खातेदार लोकेश पुत्र रणजीत सिंह दर्ज रेकार्ड थे। मुताबिक आदेश तहसीलदार तालेडा के, जिला कलक्टर बून्दी के निर्णयानुसार नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक 07.01.2022 दर्ज कर उक्त भूमि महकमा जंगलात के खाते दर्ज की गई। जिस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि उक्त नामान्तरकरण स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान तस्दीक किया गया, जो निरस्त किया जावे। जबकि रेस्पोडेंस का कथन है कि उक्त आदेश तहसीलदार तालेडा का मूल आदेश न होकर न्यायालय निर्णय की पालना में दर्ज किया गया नामान्तकरण है, जो विधिसम्मत है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र सं. 128/2018 उनवान सरकार बनाम आवंटन परामर्शदात्री समिति वगै. में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2019 की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से बून्दी जिले के ग्राम खडीपुर में स्थित भूमि खसरा सं.199 रकबा 224 बीघा, जिसका पुराना खसरा नं. 168 है, को शासन सचिव जरिये राजस्व सचिव, राज्य सरकार की विज्ञप्ति सं. एफ. 7(17)रा.क.61 दिनांक 25.03.1961 से वन खण्ड करौंदी को राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार ने दिनांक 01.06.1961 को आरक्षितवन घोषित कर दिया था। उक्त ग्राम खडीपुर वनखण्ड करौंदी आरक्षित वन खण्ड में घोषित किया हुआ है। आरक्षित वन खण्ड ग्राम खडीपुर की उक्त भूमि खसरा सं. 199 रकबा 224 बीघा में से 8 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 17.12.1978 को सुखदेव आ. गंभीरा जाति गुर्जर को आवंटित कर दी गई थी। वन भूमि में किया गया उक्त आवंटन को नियम

जिला कलक्टर, बून्दी

विरूद्ध मानते हुये क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी द्वारा भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत प्रकरण इस न्यायालय में दायर किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र सं. 128/2018 बाद सुनवाई उभयपक्ष आवंटित भूमि राजस्व विभाग की सिवायचक भूमि न होकर, वन विभाग के स्वामित्व की भूमि होने के तथ्य को छिपाकर प्रकरण में वस्तुस्थिति की समुचित जांच किये बिना सुखदेव गुर्जर के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत विधिविरूद्ध पाये जाने से इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.19 से निरस्त किया जाकर भूमि को कब्जा राज लेकर आरक्षित वन भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक 07.01.2022 महकमा जंगलात के पक्ष में तस्दीक किया गया।

इस अपील में अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा जारी स्थगन आदेश के प्रभावी रहने के दौरान अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज कर दिये जाने बाबत आपत्ति की गई है। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 128/2018 उनवान सरकार बनाम आवंटन परामर्शदात्री समिति वगै. इस न्यायालय में विचाराधीन रहने के दौरान अप्रार्थीगण (अपीलांटस) द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये, जिसके अभाव में इस न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी बाबत तत्समय स्थगन आदेश प्रभावी होने का तथ्य प्रकट नहीं हुआ। ऐसे में इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के दौरान उक्त निर्णय पारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.09.2019 की पालना में तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी